



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24032020-218890
CG-MH-E-24032020-218890

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 124]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 18, 2020/फाल्गुन 28, 1941

No.124]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 18, 2020/PHALGUNA 28, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 9 मार्च, 2020

फा. सं.टीएएमपी/58/2019-एनएमपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा, न्यू मैंगलूर पत्तन पर बल्क कार्गो के डीबीएफओटी आधार पर प्रहस्तन के लिए बर्थ नं. 16 के मशीनीकरण हेतु उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दरमान अधिसूचित करने के लिए मै. चेतीनाद मैंगलूर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त प्रस्ताव का इसके साथ संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण
मामला सं टीएएमपी/58/2019-एनएमपीटी

चेतीनाद मंगलोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड

आवेदक

कोरम:

- (i) टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी, 2020 के 20वें दिन पारित)

यह मामला न्यू मैंगलूर पत्तन पर बल्क कार्गो के डीबीएफओटी आधार पर प्रहस्तन के लिए बर्थ नं.16 के मशीनीकरण हेतु उपकरण उपलब्ध कराने के लिए दरमान अधिसूचित करने के लिए मै. चेतीनाद मैंगलूर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीएमसीटीपीएल)से प्राप्त प्रस्ताव से संबंधित है।

2. सीएमसीटीपीएल द्वारा अपने प्रस्ताव में प्रस्तुत उल्लेखों से पहले, यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि इस प्राधिकरण ने, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के माध्यम से बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए बर्थ नंबर 12 के मशीनीकरण के लिए न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दायर प्रस्ताव के आधार पर अपने आदेश सं.टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी दिनांक 16 नवंबर 2015 को संदर्भ प्रशुल्क निर्धारित किया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, (भाग III खंड 4) में राजपत्र सं. 08 पर 06 जनवरी 2016 को अधिसूचित किया गया था।

3. सीएमसीटीपीएल ने 15 नवंबर, 2019 को लिखे अपने पत्र के द्वारा इस प्राधिकरण से अनुरोध किया कि एनएमपीटी में बर्थ नं 16 पर बल्क कार्गो (कोयला और अन्य कार्गो) के प्रहस्तन के लिए उसके नाम पर दरमान को अधिसूचित करें। सीएमसीटीपीएल द्वारा किए गए मुख्य उल्लेख निम्नानुसार हैं:

- (i) सीएमसीटीपीएल ने डीबीएफओटी आधार पर विषयगत टर्मिनल को विकसित करने और संचालित करने के लिए 18 मार्च 2016 को न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) के साथ एक रियायत समझौता करार किया है।
- (ii) सीएमसीटीपीएल ने परियोजना पूरी कर ली है और एनएमपीटी से 31 अक्टूबर 2019 को स्वतंत्र इंजीनियर से प्रमाणपत्र और ट्रेड नोटिस प्राप्त किया है।
- (iii) टीएएमपी की अधिसूचना के आधार पर प्रशुल्क की गणना संलग्न है।

4.1. सीएमसीटीपीएल के प्रस्ताव की प्रारंभिक जांच करने पर, यह पाया गया कि इसके दरमान की अधिसूचना के लिए सीएमसीटीपीएल के प्रस्ताव के साथ अपेक्षित जानकारी/दस्तावेज नहीं थे जैसे कि प्रस्तावित दरमान, इंडिपेंडेंट इंजीनियर सर्टिफिकेट आदि। तदनुसार, सीएमसीटीपीएल को अनुरोध किया गया था, हमारे दिनांक 28 नवंबर 2019 के पत्र द्वारा आवश्यक जानकारी/ दस्तावेज तुरंत प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर में, सीएमसीटीपीएल ने 5 दिसंबर 2019 के अपने पत्र और एनएमपीटी को प्रति भेजते हुए हमें उत्तर प्रस्तुत किया।

4.2. हमारे द्वारा मांगी गई सूचना/दस्तावेज का सारांश और सीएमसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत उत्तर नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी/दस्तावेज	सीएमसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर
(i)	(क) सीएमसीटीपीएल को प्राधिकरण के आदेश संख्या टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी दिनांक 16 नवंबर 2015 द्वारा अनुमोदित	प्रस्तावित दरों को नियंत्रित करने वाली सशर्तियों के साथ-साथ प्राधिकरण के संदर्भ-प्रशुल्क आदेश टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी दिनांक 16

	सशर्तताओं सहित विधिवत अनुक्रमित दरों के पूर्ण प्रस्तावित दरमान प्रस्तुत करें।	नवंबर, 2015 द्वारा अनुमोदित प्रशुल्क, प्रशुल्क आदेश में अधिसूचित की गई शर्तों सहित पूरा प्रस्तावित दरमान संलग्न है। (उक्त आदेश में निर्धारित भंडारण प्रभार की अनुसूची के पश्चात दरमानों में सामान्य नोट्स प्रस्तावित एसओआर (दरमान) ड्राफ्ट में और निष्पादन मानक प्रस्ताव के साथ संलग्न नहीं किए गए हैं। बाद में, सीएमसीटीपीएल ने कथित आदेश में उल्लेखित प्रस्तावित ड्राफ्ट एसओआर को सशर्तियों और निष्पादन मानकों सहित प्रस्तुत कर दिया है)
	(ख) इसके साथ ही, टीएमपी की टिप्पणी मंगाने के लिए एनएमपीटी को भी अग्रेषित करें।	सीएमसीटीपीएल ने एनएमपीटी को भी भेज दी है।
(ii)	विधि के अनुसार, बीओटी ऑपरेटर द्वारा ली जाने वाली दरों को प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाना चाहिए। स्वतंत्र इंजीनियर ने प्रमाणित किया है कि परियोजना 22.5.2019 से वाणिज्यिक संचालन के लिए फिट(उपयुक्त) घोषित की जा चुकी है। सीएमसीटीपीएल ने केवल 15.11.2019 को प्रस्ताव दायर किया है। सीएमसीटीपीएल व्यावसायिक संचालन से पहले प्रस्ताव को अच्छी तरह से दाखिल न करने का कारण प्रस्तुत करें।	हालांकि, सीएमसीटीपीएल ने मई 2019 के अंत के दौरान परियोजना को पूरा कर लिया है, परंतु 14 मीटर के प्रतिबद्ध ड्राफ्ट की अनुपलब्धता के कारण, सीएमसीटीपीएल अपना वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर पाया। एनएमपीटी ने ड्रेजिंग गतिविधि को अंजाम दिया और केवल अक्टूबर 2019 के अंतिम सप्ताह में 13 मीटर के ड्राफ्ट का प्रावधान किया। इसके बाद, एनएमपीटी ने 31 अक्टूबर 2019 को सीएमसीटीपीएल को कोल हैंडलिंग ऑपरेशंस की विशिष्ट क्लॉज के साथ ट्रेड नोटिस जारी किया, जिसमें उल्लेख किया गया कि नवंबर 2019 के महीने में बर्थ नंबर -16 पर पहली शिपमेंट के आने की तारीख से अधिसूचना लागू होगी। प्रासंगिक व्यापार-सूचना की प्रति संलग्न है। इसलिए, सीएमसीटीपीएल ने अपने नाम से अनुक्रमित दरमानों की अधिसूचना के लिए प्रस्ताव नवंबर 2019 में दायर किया है।

4.3. प्रस्तावित दरमान में, सीएमसीटीपीएल ने इस प्राधिकरण से अनुरोध किया गया है कि वह दिनांक 16 नवंबर 2015 के आदेश में अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क पर अनुक्रमित दर अर्थात् 2016-17 की अवधि के लिए शून्य 2017-18 के लिए 1.20%, 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 तक के लिए शून्य, 1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 के लिए 2.07% और अवधि 2019-2020 के लिए 2.56% के सूचकांक को लागू करके सूचकांकित दर को अनुमोदित करें:

(i) कार्गो प्रहस्तन प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	दर रुपये प्रति मीट्रिक टन	
		विदेशी	तटीय
(i).	तापीय कोयला	301.39	301.39
(ii).	अन्य कोयला	301.39	180.84
(iii).	अन्य कार्गो (उर्वरक, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट)	76.95	46.16

(ii) भंडारण प्रभार:

क्रम सं.	विवरण	दर प्रति मीट्रिक टन प्रति दिन या उसका कोई भाग--रूपये	
		कोयला आयात के लिए	अन्य कार्गो आयात के लिए (चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट)
(i)	निशुल्क अवधि	25 दिन	5 दिन
(ii)	निशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद पहले पांच दिन	1.13	0.83
(iii)	निशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद 6 वें दिन से 10 वें दिन	1.70	1.23
(iv)	11 वें दिन से	2.27	1.65

5.1. सीएमसीटीपीएल के उक्त प्रस्ताव के संदर्भ में, एनएमपीटी को कंसेशनार पत्तन होने के नाते, हमारे 28 नवंबर 2019 के पत्र और 13 दिसंबर 2019 के अनुस्मारक पत्र के साथ अपेक्षित दस्तावेजों/सूचनाओं के साथ कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। एनएमपीटी को सीएमसीटीपीएल द्वारा अग्रेषित किए जाने वाले प्रस्तावित दरमानों पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करने का भी अनुरोध किया गया था।

5.2. एनएमपीटी ने अपने ई-मेल दिनांक 24 दिसंबर 2019 को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत की है। हमारे द्वारा मांगी गई सूचना और स्पष्टीकरण/दस्तावेजों का सारांश और एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत उत्तर नीचे दिये गये हैं:

क्रम सं.	प्राधिकरण द्वारा मांगी गई जानकारी / स्पष्टीकरण	एनएमपीटी द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर
(i)	(क). सीएमसीटीपीएल ने बर्थ नंबर 16 के लिए एसओआर (दरमान) की अधिसूचना का प्रस्ताव दायर किया है। 16 नवंबर 2015 के आदेश में इस परियोजना के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क बर्थ नंबर 12 के लिए है। स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी किया गया पूर्णता प्रमाण पत्र बर्थ का संदर्भ बर्थ संख्या 12 के तौर पर दिया गया है। एनएमपीटी द्वारा जारी 31 अक्टूबर 2019 के ट्रेड नोटिस में सीएमसीटीपीएल द्वारा संचालित बर्थ को नंबर	(क) हाँ। विषयगत परियोजना के लिए ईओआई आमंत्रित करते समय, बर्थ को 'बर्थ नंबर 12' के रूप में नामित किया गया था। दिनांक 18.03.2016 के कन्सेशन एग्रीमेंट में बर्थ को बर्थ नं. 12 बताया गया है। पिछले बर्थ नं. 12 को बर्थ नं. 16 के रूप में फिर से पुनः(नया) संख्या-क्रम प्रदान किया गया है। सीमा-शुल्क अधिसूचना प्रस्तुत है।

	16 के रूप में संदर्भित किया गया है।	
	(ख) इस संदर्भ में, यह एनएमपीटी के पहले के ई-मेल दिनांक 4 जून 2019 से देखा गया है, कि एनएमपीटी के अपफ्रंट / संदर्भ प्रशुल्क के लिए पीपीपी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति प्रस्तुत करते हुए, पत्तन ने 16 नवंबर 2015 के आदेश संख्या.टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी में "बर्थ सं.12 (नया 16) "लिखा है। एनएमपीटी, कंसेशनएयर पत्तन होने के नाते, यह पुष्टि करे कि क्या बर्थ नंबर 12 ही बर्थ नंबर नं 16 है अर्थात बर्थ नंबर 12 का क्रम सं. 16 के तौर पर पुनः नाम-करण किया गया है।	सीमा शुल्क विभाग द्वारा बर्थ की अधिसूचना के दौरान, यह जोर दिया गया था कि क्रमांकन पहले की अधिसूचना में क्रम क्रमबद्ध रूप में होगा। इसके अनुसार, नंबर को बर्थ नंबर 12 से बदलकर बर्थ नंबर 16 कर दिया गया। सीमा शुल्क अधिसूचना की प्रति प्रस्तुत है।
(ii)	एनएमपीटी ने 18 मार्च 2016 को सीएमसीटीपीएल के साथ रियायत समझौते की प्रति प्रस्तुत नहीं की है। एनएमपीटी उक्त परियोजना के लिए रियायत समझौते की प्रति प्रस्तुत करे।	एनएमपीटी और मै0 सीएमसीटीपीएल के बीच दिनांक 18.03.2016 की रियायत समझौते की प्रति प्रस्तुत की गई है।
(iii)	जहां तक सीएमसीटीपीएल द्वारा ट्रेड को अग्रेषित एनएमपीटी द्वारा जारी दिनांक 31 अक्टूबर 2019 के ट्रेड नोटिस सं. एनएमपीटी/टीएम/बर्थ 16 /2019 का संबंध है जिसमें यह कहा गया है कि सीएमसीटीपीएल को आदेश सं. टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी दिनांक 16 नवंबर 2015 के तहत प्रशुल्क लगाने के लिए अनुमत्त किया गया है, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विधि के अनुसार बीओटी के द्वारा लगाए जाने वाली दरें प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित की जानी होती है। स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी प्रमाण पत्र के अनुसार परियोजना 22 मई 2019 से वाणिज्यिक संचालन के लिए फिट प्रमाणित की गई है। तथापि सीएमसीटीपीएल ने सूचकांकित दरमान अपने नाम पर अधिसूचित करने के लिए अब 15 नवंबर 2019 को प्रस्ताव दायर किया है।	(क) बर्थ नं .16 का निर्माण कार्य 22.05.2019 को पूरा हुआ। यह स्वतंत्र अभियंता द्वारा 22.05.2019 को उनके पूर्णता प्रमाण पत्र द्वारा प्रमाणित किया गया है। (ख) भले ही निर्माण कार्य 22.05.2019 को पूरा हो गया हो, रियायत प्राधिकारी अपेक्षित ड्राफ्ट और घोषणा के लिए व्यावसायिक संचालन शुरू करने में असमर्थ थे। (ग) यह केवल 31.10.2019 को ही प्राप्त किया जा सकता है, जब पत्तन ने ट्रेड नोटिस जारी किया था जिसमें कहा गया था कि रियायत समझौते के अनुसार सुविधाप्राप्तकर्ता सीएमसीटीपीएल को वाणिज्यिक संचालन आरंभ होने की तिथि से 5 वर्ष या या कार्गो के प्रहस्तन की क्षमता का स्तर लगातार दो वर्षों तक 75% पहुंच जाने तक की अनुमति दी गई हो। इसके अलावा, मै0 सीएमसीटीपीएल को प्र" जुल्क आदेश नंबर टीएएमपी/60/2015/एनएमपीटी दिनांक 16.11.2015 के अनुसार प्र" जुल्क चार्ज करने की अनुमति दी गई है। [रियायत अवधि 30 वर्ष के लिए है। उपर्युक्त

		प्रावधान एक विशिष्टता है।] (घ) उपरोक्त के आधार पर, वाणिज्यिक परिचालन की तिथि बर्थ नं .16 पर पहली शिपमेंट के आगमन की तारीख से लागू हुई, जो 8 नवंबर 2019 को थी। (ङ) तदनुसार, मै0 सीएमसीटीपीएल ने अपने पत्र सं. सीएमसीटीपीएल/एमएलआर/2019/ 0169 दिनांक 15.11.2019 के तहत टीएएमपी को इंडिपेंडेंट इंजीनियर के प्रमाण पत्र और एनएमपीटी से प्राप्त ट्रेड नोटिस की प्रति सहित लागू सूचकांक के साथ प्र” जुल्क गणना के बारे में सूचित किया गया है।
--	--	--

5.3. इसके बाद, एनएमपीटी को 13 दिसंबर, 2019 के फिर से और हमारे पत्र के माध्यम से एनएमपीटी के दिनांक 15 नवंबर 2019 के प्रस्ताव पर तथा सीएमसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत पूर्ण प्रस्तावित एसओआर (दरमान) पर अपनी टिप्पणी सीधे पत्तन को भेजने के बारे में याद दिलाई गई। इस संबंध में, सीएमसीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित एसओआर (दरमान) के मसौदे पर एनएमपीटी की टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

- (i) दरमानों के ड्राफ्ट में संदर्भ प्रशुल्क के खंड 1.2(iii) पर विनिर्दिष्ट विलंबित भुगतानों/वापसियों पर व्याज को हटा दिया गया है। इस खंड को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।
- (ii) टीएएमपी, एसओआर (दरमान) के ड्राफ्ट के खंड 4 में दिए गए सामान्य नोट्स को उपयुक्त रूप से संशोधित कर सकता है।

6.1. अप्रकट प्रशुल्क के निर्धारण के लिए 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1 में कहा गया है कि निजी ऑपरेटर अपना वाणिज्यिक परिचालन के लिए लागू कार्य आरंभ करने से पूर्व एमपीटी अधिनियम की धारा 48 और टीएएमपी के 2008 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.2 के अनुसार यथा-अपेक्षित निर्धारित प्रशुल्क सीमा वाले दरमान पत्तन द्वारा अधिसूचित करवाने के लिए इस प्राधिकरण से अनुरोध करेंगे और टीएएमपी द्वारा पत्तन के लिए निर्धारित ये दरमान प्रशुल्क सीमा वाले होंगे तथा बोली दस्तावेजों में खंड 2.8 में वर्णित सूचकांकन की शर्त पर शामिल किए जाएंगे। इस तरह के एसओआर (दरमान) और शर्तें इस प्राधिकरण द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचित की जाएंगी, जैसा कि महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 द्वारा आवश्यक है।

6.2. जबकि 2008 के अप्रकट प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 2.9.1 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने से पहले, निजी ऑपरेटर महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 48 के तहत आवश्यक एसओआर (दरमान) की अधिसूचना के लिए टीएएमपी से संपर्क करेगा, ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों में निर्धारित नहीं है।

6.3. महापत्तन ट्रस्ट्स (एमपीटी) अधिनियम, 1963 की धारा 42(4) के साथ धारा 48 के अनुसार, सेवा प्रदान करने के लिए महापत्तन न्यासों द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित एसओआर (दरमान) के आधार पर प्रशुल्क लगा सकता है। इस प्रकार, बीओटी ऑपरेटरों को प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के तहत अभिशासित किया जाता है, जिन्हें एमपीटी एक्ट 1963 की धारा 42(3) के तहत महापत्तन

न्यास द्वारा अधिकृत किया गया है उन्हें संचालन शुरू होने से पहले अनुक्रमित एसओआर (दरमान) को उनके नाम से अच्छी तरह से अधिसूचित करने की आवश्यकता होती है।

6.4. 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के खंड 4.2 के अनुसार, प्रशुल्क कैप्स को केवल 1 जनवरी 2008 और प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी के बीच मुद्रास्फीति से होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में परंतु केवल 60% तक अनुक्रमित किया जाना है और समायोजित प्रशुल्क प्रासंगिक वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक लागू होगा।

6.5. इस प्राधिकरण द्वारा आदेश टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी दिनांक 16 नवंबर 2015 द्वारा अनुमोदित सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) मोड के माध्यम से एनएमपीटी में बल्क कार्गो के प्रहस्तन के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए बर्थ नं. 12 (बर्थ का नया नं. 16) के मशीनीकरण के लिए संदर्भ प्रशुल्क में सामान्य नोट के लिए अनुसूची 4 के नीचे नोट (i) के अनुसार प्रशुल्क कैप को 1 जनवरी 2015 और प्रासंगिक वर्ष के 01 जनवरी के बीच मुद्रास्फीति में डब्ल्यूपीआई की 60% की भिन्नता तक में अनुक्रमित किया जाएगा।

7. प्रत्येक वर्ष स्वतः समायोजन के लिए माना जाने वाला आधारभूत डब्ल्यूपीआई, जनवरी 2015 के अनुसार है, और वर्ष 2016-17, और 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए इस प्राधिकरण द्वारा इसी वार्षिक-वृद्धि की घोषणा की गई है और एनएमपीटी सहित सभी महापत्तन न्यास को सूचित किया गया है और वे नीचे दिए गए हैं:

वर्ष	2013 के दिशानिर्देशों के अनुसार यह प्राधिकरण द्वारा घोषित वार्षिक सूचकांकन घटक (डब्ल्यूपीआई के 60% पर)
2016-17	" लून्य
2017-18	1.20%
01.04.18 to 31.07.18	" लून्य
01.08.18 to 31.03.19	2.07%
2019-2020	2.56%

तदनुसार, इस प्राधिकरण द्वारा संदर्भगत मामले में लागू किया जाने वाला वृद्धि-कारक वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए घोषित वृद्धि-कारक है।

8.1. इस मामले के प्रसंस्करण के दौरान एकत्र की गई जानकारी की समग्रता के संदर्भ में, निम्न स्थिति उजागर होती है:

- (i) इस प्राधिकरण ने रेफरेंस प्रशुल्क दिशानिर्देशों 2013 के तहत न्यू मंगलौर पत्तन न्यास (एनएमपीटी) द्वारा दायर प्रस्ताव का निपटान करते हुए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के माध्यम से एनएमपीटी पर थोक कार्गो के प्रहस्तन के लिए बर्थ संख्या 12 के मशीनीकरण के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए 16 नवंबर 2015 को एक आदेश संख्या टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी पारित किया है। उक्त आदेश भारत सरकार के राजपत्र में 06 जनवरी 2016 को राजपत्र सं. 08 पर अधिसूचित किया गया था।

- (ii) एनएमपीटी ने मै0 चेतीनाद मैंगलूर कोल टर्मिनल प्रा. लि. (सीएमसीटीपीएल) को लाइसेंस के आधार पर उक्त परियोजना का कार्य प्रदान किया है और एनएमपीटी ने 18 मार्च, 2016 को कोयला के लिए सीएमसीटीपीएल के साथ एक रियायत समझौता किया है। अनुच्छेद 2.1 के अनुसार सीएमसीटीपीएल और एनएमपीटी के बीच हस्ताक्षरित रियायत समझौता, रियायत करार की अवधि इसके सौपने की तारीख से 30 साल अर्थात् मार्च 2016 तक के लिए है। एनएमपीटी ने 31 अक्टूबर 2019 के ट्रेड नोटिस में सूचित किया है कि पत्तन ने ऑपरेशन शुरू होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या जब तक कि विशेष रूप से कोयला हैंडलिंग के लिए विशिष्ट खंड के साथ वाले कोयले के प्रहस्तन के लिए परियोजना कार्गो के प्रहस्तन की क्षमता का स्तर लगातार दो वर्षों तक 75% स्तर तक पहुंचता है, एनएमपीटी के साथ रियायत समझौता किया है।
- (iii) महापत्तन न्यास (एमपीटी) अधिनियम, 1963 की धारा 42 (4) की धारा के साथ पठित धारा 48 के अनुसार, सेवाओं को प्रस्तुत करने के लिए एमपीटी द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति, इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित एसओआर (दरमान) के आधार पर प्रशुल्क लगा सकता है। इस प्रकार, बीओटी ऑपरेटरों को जिन्हें एमपीटी एक्ट 1963 की धारा 42 (3) के तहत महापत्तन न्यास द्वारा अधिकृत किया गया है, प्रशुल्क दिशानिर्देशों, 2013 के तहत अभिशासित किया जाता है, उन्हें संचालन शुरू करने से पहले अनुक्रमित एसओआर (दरमान) उनके नाम से अच्छी तरह से अधिसूचित करना आवश्यक होता है।
- (iv) तदनुसार, सीएमसीटीपीएल ने दिनांक 15 नवंबर 2019 के पत्र में थोक माल के प्रहस्तन के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए बर्थ नंबर 16 के मशीनीकरण के लिए को एसओआर (दरमान) को अधिसूचित करने के अनुरोध के साथ इस प्राधिकरण से संपर्क किया है। सीएमसीटीपीएल और एनएमपीटी ने 5 दिसंबर 2019 और 24 दिसंबर 2019 के पत्रों के तहत क्रमशः हमारे द्वारा संदर्भित प्रस्ताव एवं मांगी गई जानकारी प्रस्तुत की है। पूरी जानकारी प्राप्त होने पर, प्रसंस्करण के लिए सीएमसीटीपीएल के प्रस्ताव पर कार्रवाई की गई है।
- इस प्राधिकरण के 16 नवंबर 2015 के आदेश द्वारा स्वीकृत अपफ्रंट रेफरेंस प्रशुल्क, एनएमपीटी पर पीपीपी के माध्यम से थोक कार्गो के निपटान के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए, बर्थ नं. 12 के मशीनीकरण के लिए गए हैं। सीएमसीटीपीएल के प्रस्ताव ने बर्थ नंबर-16 के मशीनीकरण के लिए इसके दरमानों की अधिसूचना का अनुरोध किया है। इस संबंध में, जब स्पष्टीकरण मांगा गया, तो एनएमपीटी ने स्पष्ट किया कि पहले क्रमित बर्थ नं. 12 को बर्थ नं. 16 के रूप में क्रमित (नामकरण) कर दिया गया है। ऐसा होने के कारण, इस प्राधिकरण ने सीएमसीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित बर्थ नंबर 16 के संबंध में एसओआर (दरमान) की अधिसूचना के लिए सीएमसीटीपीएल के प्रस्ताव पर कार्रवाई की है।
- (v) सीएमसीटीपीएल द्वारा प्रस्तुत स्वतंत्र अभियंता प्रमाणपत्र से पाया गया है कि परियोजना के लिए स्वतंत्र अभियंता द्वारा जारी पूर्णता प्रमाण-पत्र, परियोजना को 22 मई 2019 को वाणिज्यिक परिचालन आरंभ करने के लिए फिट घोषित करता है। सीएमसीटीपीएल ने प्रस्ताव हालांकि, केवल नवंबर 2019 में प्रस्तुत किया है।

वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने से पहले प्रस्ताव दाखिल नहीं करने के लिए स्पष्टीकरण मांगे जाने पर, सीएमसीटीपीएल ने स्पष्ट किया है कि 14 मीटर के प्रतिबद्ध ड्राफ्ट की अनुपलब्धता के कारण, सीएमसीटीपीएल 22 मई 2019 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू नहीं कर पाया। सीएमसीटीपीएल ने आगे कहा है कि एनएमपीटी ने ड्रेजिंग गतिविधि को अंजाम दिया और 13 एमटी का ड्राफ्ट अक्टूबर 2019 के अंतिम सप्ताह में उपलब्ध कराया और ट्रेड नोटिस भी जारी किया है कि सीएमसीटीपीएल नवंबर 2019 से परिचालन शुरू करेगा। एनएमपीटी ने भी उन्हीं बिंदुओं का समर्थन किया है जो सीएमसीटीपीएल द्वारा उल्लेखित किए गए हैं। पत्तन ने आगे कहा है कि 8 नवंबर 2019 को बर्थ नं. 16 पर पहले शिपमेंट के आगमन की तारीख से वाणिज्यिक परिचालन में सुधार होगा। इस प्रकार, संक्षेप में, सीएमसीटीपीएल और एनएमपीटी ने नवंबर 2019 में प्रस्ताव दाखिल करने के लिए स्थिति स्पष्ट कर दी है। इसलिए, यह प्राधिकरण सीएमसीटीपीएल के नाम पर एसओआर को अधिसूचित करने की दिशा में आगे बढ़ता है जो 08 नवंबर 2019 से वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से प्रभावी हो जाएगी।

- (vi) दिनांक 16 नवंबर 2015 के आदेश द्वारा पारित संदर्भ प्रशुल्क के सूचकांकन के संदर्भ में यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि दिनांक 16 नवंबर 2015 के आदेश नं. टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी के तहत इस प्राधिकरण के आदेश के पैरा 12.1 प्रशुल्क आदेश के एसओआर में जनरल नोट नं. (i) कहता है कि प्रशुल्क कैप को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में जनवरी 2015 और संबंधित वर्ष की 1 जनवरी के बीच भिन्नता के 60% की सीमा तक मुद्रास्फीति में अनुक्रमित किया जाएगा। सामान्य नोट में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) वृद्धि के लिए स्पष्ट रूप से 1 जनवरी 2015 आधार का वर्ष होना चाहिए।

ऐसा होने के कारण, 16 नवंबर 2015 के आदेश द्वारा अनुमोदित संदर्भ प्रशुल्क पर नवंबर 2019 को अनुक्रमित एसओआर पर आने के लिए लागू वृद्धि कारक 2016-17 की अवधि के लिए शून्य है, 2017-18 के लिए 1.20%, 1 अप्रैल 2018 से 31 जुलाई 2018 के लिए शून्य, 1 अगस्त 2018 से 31 मार्च 2019 तक के लिए 2.07, 2019-20 की अवधि के लिए 2.56 है। संचयी रूप से यह कुल 5.939 प्रतिशत बन जाता है। अनुक्रमित एसओआर निकालने के लिए सीएमसीटीपीएल ने सही वृद्धि कारक लागू किया है जिसे 8 नवंबर 2019 से प्रभावी बनाया जाएगा। बाद के वर्षों के लिए, प्रशुल्क को स्वतः रूप से थोक मूल्य सूचकांक के @ 60% को 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के तहत जनवरी 2019 को आधार वर्ष मानते हुए लागू किया जाएगा, जो इस प्राधिकरण द्वारा सालाना घोषित किया जाएगा। इसलिए, दिनांक 16 नवंबर 2015 के आदेश में अनुमोदित निर्धारित प्रशुल्क में स्वतः वृद्धि के संबंध में सामान्य नोट संख्या (i) अनुसूची (4) में है, उस सीमा तक थोड़ा संशोधन किया गया है।

- (vii) एनएमपीटी ने पहले ही एक ट्रेड नोटिस जारी किया है कि सीएमपीसीटीपीएल को प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश सं. टीएएमपी/60/2015-एनएमपीटी दिनांक 16 नवंबर 2015 से इस प्राधिकरण द्वारा के अनुसार नवंबर 2019 के महीने में पहली शिपमेंट के आगमन की तारीख प्रशुल्क चार्ज करने की अनुमति दी गई है। एनएमपीटी और सीएमसीटीपीएल ने पुष्टि की है कि वाणिज्यिक संचालन नवंबर 2019 से शुरू हो गया है। इसलिए, अधिसूचित किए गए

अनुक्रमित दरमान नवंबर 2019 में वाणिज्यिक परिचालन शुरू होने की तारीख से प्रभावी हो जाएंगे।

- (viii) सीएमसीटीपीएल ने कार्गो प्रहस्तन प्रभारों की अनुसूची के तहत सभी परिभाषाओं, सामान्य नियमों और शर्तों और नोटों को बरकरार रखा है जैसा कि संदर्भ प्रशुल्क आदेश दिनांक 16 नवंबर 2015 में निर्धारित किया गया है, सीएमसीटीपीएल में 1.2 के तहत विलंबित भुगतान/ धनवापसी पर ब्याज से संबंधित सामान्य शर्त संख्या (iii) (क) से (घ) शामिल नहीं है। सीएमसीटीपीएल द्वारा प्रस्तावित एसओआर में अनुसूची 4 के तहत निर्धारित सामान्य नोट्स और उक्त संदर्भ प्रशुल्क आदेश में निर्धारित निष्पादन मानक शामिल नहीं हैं। यहां यह बताना प्रासंगिक है कि 18 मार्च 2016 को सीएमसीटीपीएल और एनएमपीटी के बीच किये गये किए गए रियायत समझौते के परिशिष्ट 12 में जिसमें संपूर्ण दरमान और आदेश में इस प्राधिकरण द्वारा दिनांक 16 नवंबर 2015 को अनुमोदित निष्पादन मानक शामिल हैं। ऐसा होना, सामान्य शर्त सं. (iii) (क) से (घ) 1.2 के तहत विलंबित भुगतान/ धनवापसी पर ब्याज से संबंधित, अनुसूची 4 के तहत सामान्य नोट सीएमसीटीपीएल के नाम से अधिसूचित दरमान में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा, 16 नवंबर 2015 के आदेश में निर्धारित निष्पादन मानकों को अनुक्रमित एसओआर के साथ अधिसूचना के लिए अलग अनुलग्नक के रूप में भी शामिल किया गया है।
- (ix) एसओआरआर दरमान में अनुमोदित 16 नवंबर 2015 के आदेश में अधिसूचित दरों को लागू की जाने वाली अन्य सभी शर्तें जिन्हें निम्नलिखित के अध्याधीन रखा गया है:

इस प्राधिकरण ने तटीय माल/कंटेनर से रियायती प्रशुल्क वसूलने के संबंध में वीओसीपीटी द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण पर पोत परिवहन महानिदेशालय की सिफारिशों के आधार पर 29 सितंबर, 2015 को आदेश संख्या टीएएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी पारित किया है। उक्त आदेश में अनुमोदित प्रावधानों में 26 नवंबर, 2015 के आदेश क्रमांक टीएएएमपी/53/2015-वीओसीपीटी में संशोधन किया गया था। उक्त आदेश सभी प्रमुख पत्तन न्यासों द्वारा आम समान रूप से अनुकरण करने के लिए है। उक्त आदेश के बाद, पोत परिवहन महानिदेशालय ने अपने पत्र क्रमांक: एसडी 9/सीएचएआरटी(309)/2016 दिनांक 20 मई 2016 को 26 नवंबर 2015 के आदेश में अनुमोदित प्रावधान पर और स्पष्टीकरण जारी किया है। इस प्राधिकरण ने तदनुसार, 26 नवंबर 2015 के आदेश के पैरा 9 क (ii) और 10 (ii) में निर्धारित प्रावधान को थोड़ा संशोधित करते हुए एक स्पष्ट आदेश पारित किया है। उक्त आदेश में सीएमसीटीपीएल के मामले के संबंध में कार्गो प्रहस्तन प्रशुल्क से संबंधित इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संशोधित प्रासंगिक प्रावधान तदनुसार सीएमसीटीपीएल के दरमानों में सामान्य नियम और शर्तों और प्रस्तावित नोट क्रम नं. (ii) से (vii) के तहत नोट सं. (ii) के रूप में अदत्तित किए गए हैं।

8.2. परिणामतः, और ऊपर दिए गए कारणों और सामूहिक सोच विचार के आधार पर, यह प्राधिकरण न्यू मैंगलोर पोर्ट पर बल्क कार्गो निपटान के लिए उपकरण प्रदान करने के लिए बर्थ नं.16 के मशीनीकरण के लिए कार्यरत वीओटी ऑपरेटर सीएमसीटीपीएल के नाम पर डीबीएफओटी आधार पर और क्रमशः अनुलग्नक I और अनुलग्नक II के रूप में संलग्न दरमान और निष्पादन मानक अधिसूचित करने के लिए अनुमोदन करता है।

8.3. सीएमसीटीपीएल के लिए अधिसूचित दरमान सीएमसीटीपीएल द्वारा एनएमपीटी में वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने की तारीख यानी 08 नवंबर 2019 से प्रभावी होगा।

8.4. सीएमसीटीपीएल से अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पादन समझौते में उल्लेखित निष्पादन मानकों को पूरा करे।

9.1. उसी वित्तीय वर्ष के वाणिज्यिक संचालन (सीओडी) की तारीख से 31 मार्च तक, प्रशुल्क उस वर्ष के लिए प्रासंगिक अनुक्रमित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा, जो अधिकतम सीमी स्तर का होगा। उपरोक्त संदर्भ प्रशुल्क को प्रत्येक वर्ष 2013 के दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में दिए गए अनुक्रमण के आधार पर स्वचालित रूप से संशोधित किया जाएगा जो कि पूरी रियायत अवधि के लिए लागू होगा।

हालाँकि, सीएमसीटीपीएल संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए प्रशुल्क को दूसरे वर्ष से, निष्पादन मानकों ("निष्पादन लिंकड प्रशुल्क") के साथ अनुक्रमित संदर्भ प्रशुल्क के ऊपर और प्रचालन के आगामी वित्तीय वर्ष की पहली अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले प्रस्तावित करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा निष्पादन लिंकड प्रशुल्क उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए अनुक्रमित संदर्भ प्रशुल्क के ऊपर और ऊपर 15% से अधिक नहीं होगा (और यह प्रशुल्क अधिकतम स्तर का होगा)। निष्पादन लिंकड प्रशुल्क आगामी वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लागू होगा और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू रहेगा।

9.2. सीएमटीपीएलएल द्वारा परियोजना के रियायत समझौते के तहत नियुक्त स्वतंत्र अभियंता से एक प्रमाण पत्र के साथ इस प्राधिकरण को प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा, जो रियायत करार में शामिल पिछले 12 महीनों में या प्रचालन के पहले वर्ष में प्रचालन के महीनों की संख्या जैसा जैसी भी स्थिति हो निष्पादन मानकों की उपलब्धि को दर्शाते हुए प्रस्तुत किया जाएगा।

9.3. यह प्राधिकरण प्रस्ताव प्राप्त होने पर, प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 5 में उल्लिखित निष्पादन मानकों की उपलब्धि पर एनएमपीटी के विचार मांगेगा।

9.4. पिछले 12 महीनों में रियायत समझौते में शामिल किए गए निष्पादन मानक सीएमसीटीपीएल द्वारा पूरे नहीं करने की स्थिति में, यह प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निष्पादन लिंकड प्रशुल्क को अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और सीएमसीटीपीएल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए लागू केवल अनुक्रमित संदर्भ शुल्क का हकदार होगा।

9.5. एनएमपीटी के विचारों पर विचार करने के बाद, यदि यह प्राधिकरण संतुष्ट है कि रियायत समझौते में शामिल निष्पादन मानक पूरे किए गए हैं, तो यह 15 मार्च तक निष्पादन से जुड़े प्रशुल्क को अधिसूचित करेगा, जो आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।

9.6. निष्पादन लिंकड प्रशुल्क के प्रस्ताव पर विचार करते समय, यह प्राधिकरण ऑपरेटर द्वारा निष्पादन मानकों और इनके अनुपालन पर ध्यान देगा। यह प्राधिकरण सीएमसीटीपीएल द्वारा निष्पादन मानकों की उपलब्धि या अन्यथा पर आधारित निष्पादन लिंकड प्रशुल्क प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्णय करेगा। अनुक्रमित संदर्भ प्रशुल्क और निष्पादन लिंकड प्रशुल्क के निर्धारण में 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों से जुड़े परिशिष्ट में दिखाए गए उदाहरणों का अनुपालन किया जाएगा।

9.7. प्राधिकरण द्वारा ऑपरेशन के तीसरे वर्ष से, सीएमसीटीपीएल के निष्पादन लिंकड प्रशुल्क प्रस्ताव को स्वतंत्र इंजीनियर से उपलब्धि प्रमाण पत्र के रूप में पिछले 12 महीनों की अवधि में निष्पादन मानकों की उपलब्धि के अध्याधीन इस प्राधिकरण द्वारा स्वचालित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। सीएमसीटीपीएल,

तीसरे वर्ष से 1 मार्च तक स्वतंत्र इंजीनियर से उपलब्धि प्रमाण पत्र के साथ निष्पादन लिंकड प्रशुल्क के लिए, निष्पादन लिंकड प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और यह प्राधिकरण आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होने वाले निष्पादन लिंकड प्रशुल्क 20 मार्च तक अधिसूचित कर देगा,.

9.8. इस प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किए गए निष्पादन मानकों के पीपीपी ऑपरेटर द्वारा पूरा न करने के संबंध में किसी भी उपयोगकर्ता को कोई शिकायत होने की स्थिति में, वह इस प्राधिकरण के लिए एक प्रतिवेदन दे सकता है, जो उसके बाद, प्रतिवेदन की जांच करेगा और एनएमपीटी को अपना निष्कर्ष देगा। एनएमपीटी संबंधित रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार निष्कर्षों पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए बाध्य होगा।

9.9. सीएमसीटीपीएल इस प्राधिकरण को, कार्गो ट्रैफिक, पोतीय-बर्थ-डे-आउटपुट, पोतों का औसत टर्नअराउंड समय, औसत प्री-बर्थिंग प्रतीक्षा समय के साथ-साथ बर्थ के लिए लागू प्रशुल्क पर तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। इसके अलावा, त्रैमासिक रिपोर्टें प्रति केन घंटे की औसत चाल और कंटेनरों के लिए औसत निवासी समय पर भी प्रदान की जाएंगी। त्रैमासिक रिपोर्ट प्रत्येक तिमाही के अंत के बाद सीएमसीटीपीएल द्वारा एक महीने के भीतर प्रस्तुत की जाएगी। कोई अन्य जानकारी जो इस प्राधिकरण द्वारा आवश्यक हो सकती है, समय-समय पर उन्हें भी प्रस्तुत की जाएगी।

9.10. यदि कोई दरों की स्पष्टता या व्याख्या और सशर्तताओं के विवरण की आवश्यकता पर प्रश्न उठता है, तो मामला इस प्राधिकरण को भेजा जाएगा और इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय सीएमसीटीपीएल पर बाध्यकारी होगा।

9.11. सीएमसीटीपीएल के वास्तविक निष्पादन की निगरानी इस प्राधिकरण द्वारा की जाएगी। यदि सेवा की गुणवत्ता के बारे में कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो यह प्राधिकरण ऐसे आरोप की जांच करेगा और अपने निष्कर्षों को एनएमपीटीको अग्रेषित करेगा। यदि सीएमसीटीपीएल के खिलाफ कोई कार्रवाई की जानी है, तो एनएमपीटी संबंधित रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करेगा।

10. यह प्राधिकरण अपनी वेबसाइट पर सीएमसीटीपीएल से प्राप्त ऐसी सभी जानकारी प्रकाशित करेगा। हालाँकि, यह प्राधिकरण सीएमसीटीपीएल के अनुरोध पर विचार करेगा कि वह कुछ ऐसे आंकड़ों / सूचनाओं को प्रकाशित न करे, जो व्यावसायिक रूप से संवेदनशील हों। इस तरह के अनुरोध डेटा / सूचना की वाणिज्यिक संवेदनशीलता के बारे में और प्रकाशन पर उनके राजस्व / संचालन पर संभावित प्रतिकूल प्रभाव के संबंध में विस्तृत औचित्य के साथ होना चाहिए। इस संबंध में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम निर्णय होगा।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./508/19]

अनुलग्नक-I

चेत्तीनाद मैंगलोर कोल टर्मिनल प्र. लि.

न्यू मैंगलूर पत्तन न्यास पर बर्थ सं. 16 पर कोयला और अन्य कार्गो के प्रहस्तन के लिए दरमानों का विवरण

अध्याय 1 - परिभाषाएँ और सामान्य नियम और शर्तें

1.1. परिभाषाएं- सामान्य

इन दरमानों में जब तक अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो निम्न परिभाषाएं लागू होंगी :

- (i) "तटीय पोत" का अर्थ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध तटीय लाइसेंस वाला भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी पत्तन अथवा स्थान से भारत में किसी अन्य पत्तन अथवा स्थान के बीच व्यापार में विशेष रूप से लगाया गया पोत होगा।
- (ii) "विदेशगामी पोत" का अर्थ तटीय पोत से इतर कोई पोत होगा।
- (iii) "प्रति दिन" का अभिप्राय: प्रति कैलेंडर दिवस है यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो।

1.2 सामान्य नियम और शर्तें:

- (i) सीमा शुल्क या महानिदेशक द्वारा इसके प्रमाणन के रूप में वहन किए जाने वाले पोत की स्थिति, पोत से संबंधित शुल्क लगाने के उद्देश्य से 'तटीय' या-विदेशी-चल 'के रूप में इसके वर्गीकरण के लिए निर्णायक कारक होगी; और, माल की प्रकृति या इसकी उत्पत्ति इस उद्देश्य के लिए किसी भी प्रासंगिकता की नहीं होगी।
- (ii) रियायती तटीय दर पर कार्गो संबंधित प्रभार (सीआरसी) के लिए मानदंड
 - (क) विदेशी व्यापार करने वाले भारतीय पोत जिनके पास दुनिया भर में और तटीय 'संचालन के लिए जारी किए गए जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस हैं, को प्रहस्तन प्रभार के संबंध में लागू तटीय दरों पर लागू किया जाना चाहिए अर्थात् पोत को स्थानांतरण और स्थानांतरण से / से लेकर क्वार्ट / तक भंडारण यार्ड सहित घाट से स्थानांतरित करना; निम्नलिखित के परिप्रेक्ष्य में : -
 - (i) तटीय चलन में परिवर्तित और तटीय कार्गो ले जाने के लिए पोत किसी भी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन के लिए।
 - (ii) तटीय चलन में परिवर्तित नहीं* परंतु किसी भी भारतीय पत्तन से किसी अन्य भारतीय पत्तन को तटीय कार्गो ले लाने वाले पोत।

*केंद्रीय सीमा कर और शुल्क परिपत्र सं 15/2002-सी.शु. दिनांक 25 फरवरी 2002 के अनुसार तटीय कार्गो का भारतीय ध्वज वाले विदेशगामी पोत में बिना कस्टम परिवर्तन के भारत में एक पत्तन से दूसरे पत्तन को लाना/ले- जाना अनुमत्त है।
 - (ख) विदेशी ध्वज वाले पोत के मामले में पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा जारी निश्चित अवधि प्रमाण पत्र तथा सीमा शुल्क परिवर्तन आदेश के आधार पर तटीय चलन में परिवर्तित किसी एक भारतीय पत्तन पर लादे गए तथा अन्य भारतीय पत्तन पर गमन के लिए लक्षित कार्गो/कंटेनर के लिए तटीय लागू दरें प्रभार्य होगी।
- (iii) (क) कच्चे तेल लौह अयस्क और लौह अयस्क छरों सहित तापीय कोयला, पीओएल, के अलावा सभी तटीय कार्गो के लिए कार्गो से संबंधित शुल्क सामान्य कार्गो प्रभारों से संबंधित 60% से अधिक नहीं होना चाहिए।
- (ख) कार्गो संबंधी शुल्कों के मामले में, पोत- तट और स्थानांतरण, क्वे/ भंडारण यार्ड से/ को/ तक के लिए सभी प्रासंगिक प्रहस्तक शुल्कों पर रियायती दरों को लगाया जाना चाहिए जिसमें घाट शामिल हैं.
- (ग) विदेशी पत्तन से आने वाले कार्गो पर जिसे एक भारतीय पत्तन 'क' से दूसरे भारतीय पत्तन 'ख' पर पहुंचना है पर उसकी तटीय यात्रा के लिए प्रासंगिक शुल्क लगाया जाएगा। अन्य शब्दों

में तटीय यात्रा के लिए अनुमत्त पर भारतीय पत्तन से/को आने-जाने वाला कार्गो रियायत का पात्र होगा।

(iv) विलंबित अदायगियों/वापसियों पर ब्याज:

- (क) उपयोगकर्ता, दरमानों के तहत किसी भी शुल्क के विलंबित भुगतानों पर भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लेंडिंग रेट के ऊपर 2% की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।
- (ख) इसी प्रकार, पत्तन विलंबित वापसियों पर भारतीय स्टेट बैंक के प्राइम लेंडिंग रेट के ऊपर 2% की दर से दंडात्मक ब्याज का भुगतान करेगा।
- (ग) धन वापसी में देरी सेवाओं के पूरा होने के या उपभोगकर्ताओं से सभी जरूरी दस्तावेजों को लेने के 20 दिन बाद, जो कोई भी बाद में हो, संगणित किया जायेगा।
- (घ) उपभोक्ताद्वारा भुगतान में विलंब की गिनती, टर्मिनल ऑपरेटर द्वारा बिल के पेश करने की तिथि से 10 दिन बाद से आरंभ हो जाएगी लेकिन यह प्रावधान उन स्थितियों में लागू नहीं होगा जिनमें महापत्तन न्यास अधिनियम के अनुसार प्रभार का भुगतान सेवाएं लेने से पहले करने का उल्लेख किया गया है और/ या दरमानों में प्रभारों का अग्रिम भुगतान निर्धारित है।

(v) हिसाब किये गये सभी किराये भाड़े को प्रत्येक बिल के कुल योग पर अगले उच्च रूपये तक शून्यान्तक/ पूर्णांतक किया जायेगा।

- (vi) (क) दरों के पैमाने में निर्धारित दरें अधिकतम सीमा स्तर की है, इसी प्रकार छूट गृहमूल स्तरों पर है। प्रचालक अगर यह चाहे तो निम्न दरों पर चार्ज कर सकता है या/ उच्च छूट की अनुमति दे सकता है।
- (ख) अगर इस तर्कसंगति से प्रति यूनिट दर में उपभोक्ता को राहत मिलती है व दरों के पैमाने में निर्धारित यूनिट दरें ऊपरी सीमा को पार नहीं करती तो प्रचालक, दरों के पैमाने में निर्धारित दरों के इस्तेमाल को शासित करने वाली निर्धारित शर्तों को अगर यह चाहे तो तर्कसंगत कर सकता है।
- (ग) प्रचालक द्वारा इन न्यूनतम दरों/या इन दरों के प्रयोजन को शासित करने वाली शर्तों के तर्कसंगतिकरण को जनता को अधिसूचित करना चाहिए तथा इन न्यूनतम दरों में या इन दरों के प्रयोजन को शासित करने वाली शर्तों में बदलावों, बशर्ते नयी दरें टीएएमपी द्वारा अधिसूचित दरों से ज्यादा न हो, को अधिसूचित करना जारी रखा जाना चाहिए।

(vii) उपयोगकर्ताओं को ऑपरेटर के कारण उचित स्तर से परे देरी के कारण शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

(viii) वापसी का कोई दावा तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि वापस की जाने वाली राशि रु.100/- या अधिक नहीं है। इसी तरह, टर्मिनल ऑपरेटर किसी भी अनुपूरक या प्रभार के बिलों को नहीं बढ़ाएगा, यदि ऑपरेटर के कारण राशि रु.100/- से कम है।

2. कार्गो प्रहस्तन प्रभार

क्रम सं.	विवरण	प्रति मी. टन दर	
		विदेशी	तटीय
(i)	तापीय कोयला	301.39	301.39
(ii)	अन्य कोयला	301.39	180.84
(iii)	अन्य कार्गो (उर्वरक, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट)	76.95	46.16

- (i) ऊपर उल्लेखित कोयले (थर्मल और अन्य कोयले) के लिए प्रहस्तन प्रभार 25 दिनों की निशुल्क अवधि तक, पोत से कार्गो को उतारने और उसके भंडारण स्थान तक हस्तांतरण के लिए एक संयोजी शुल्क है, स्टैकयार्ड पर भंडारण, स्टैकयार्ड से पुनः प्राप्त करने और ट्रकों/रेलवे वैगन पर लोडिंग, घाट पर माल को हटाने, धूल दमन सेवाओं और अन्य सभी विविध सेवाओं जिन्हें विशेष रूप से एसओआर में शामिल नहीं किया गया है, के लिए है।
- (ii) ऊपर दिए गए अन्य कार्गो (चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट) के लिए हैंडलिंग शुल्क पोत से कार्गो को उतारने और भंडारण स्थान तक उसी के हस्तांतरण, स्टैकयार्ड पर भंडारण, स्टैकयार्ड से पुनर्प्राप्त करना और ट्रकों पर लोड करना, घाट पर माल की सफाई, धूल दमन सेवाओं और अन्य सभी विविध सेवाओं जो विशेष रूप से एसओआर में शामिल नहीं हैं, के लिए एक संयोजी शुल्क है।
- (iii) ऊपर निर्धारित अन्य कार्गो (उर्वरक) के लिए प्रहस्तन शुल्क केवल पोत से कार्गो को उतारने और पोर्ट स्टोरेज शेड तक उसी के हस्तांतरण के लिए चार्ज है। हैंडलिंग शुल्क में अन्य विशिष्ट सेवाओं को भी शामिल किया जाता है जो विशेष रूप से एसओआर में शामिल नहीं हैं। इस परियोजना में उर्वरक के भंडारण की परिकल्पना नहीं की गई है और प्रहस्तन प्रभार में भंडारण शुल्क शामिल नहीं किए जाएंगे।

3. भंडारण प्रभार

पोत के कार्गो के पूर्ण निर्वहन के बाद, एक निशुल्क अवधि (कोयले के लिए 25 दिन और अन्य कार्गो के लिए 5 दिन) से अधिक यार्ड में संग्रहीत कोयला और अन्य कार्गो के लिए भंडारण शुल्क (चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट), निम्नानुसार होगा:

क्रम सं.	विवरण	दर: प्रति मी. टन प्रति दिन या उसका कोई भाग रुपयों में	
		कोयला आयात के लिए	अन्य कार्गो आयात के लिए (चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट)
(i)	निशुल्क अवधि	25 दिन	5 दिन
(ii)	निशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद पहले पांच दिन तक	1.13	0.83

(iii)	निशुल्क अवधि की समाप्ति के बाद 6 वें दिन से 10 वें दिन तक	1.70	1.23
(iv)	11 वें दिन से तक	2.27	1.65

नोट:

- (i) (क). निशुल्क अवधि की गणना के उद्देश्य से, सीमा शुल्क अधिसूचित छुट्टियों और टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों को नहीं गिना जाएगा।
(ख) नि: शुल्क अवधि की गणना बर्थ पर पोत से माल के पूर्ण निर्वहन की तारीख के बाद से की जाएगी।
- (ii) कार्गो पर भंडारण शुल्क उस अवधि के लिए नहीं लगेगा जब टर्मिनल ऑपरेटर के लिए उत्तरदायी कारणों से उपयोगकर्ता द्वारा अनुरोध किए जाने पर टर्मिनल ऑपरेटर कार्गो को वितरित करने की स्थिति में नहीं है।
- (iii) भंडारण शुल्क निर्धारित निशुल्क दिनों के बाद टर्मिनल के गैर-कार्य दिवसों और सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित छुट्टियों सहित कार्गो के रुकने के लिए सभी दिनों के लिए देय होगा।

4. सामान्य नोट:

- (i) प्रशुल्क कैप को मुद्रास्फीति पर अनुक्रमित किया जाएगा, लेकिन प्रासंगिक वर्ष के 1 जनवरी 2019 और 1 जनवरी के बीच होने वाले थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) में भिन्नता के केवल 60% तक। प्रशुल्क कैप का ऐसा स्वचालित समायोजन हर साल किया जाएगा और समायोजित प्रशुल्क कैप संबंधित वर्ष के 1 अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक लागू होंगे।
- (ii) वाणिज्यिक संचालन (सीओडी) की तारीख से उसी वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, प्रशुल्क को उस वर्ष के लिए प्रासंगिक अनुक्रमित संदर्भ प्रशुल्क तक सीमित किया जाएगा, जो अधिकतम सीमा स्तरीय होगी। उपर्युक्त संदर्भ प्रशुल्क को प्रत्येक वर्ष 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 2.2 में दिए गए अनुक्रमण के आधार पर स्वचालित रूप से संशोधित किया जाएगा, जो पूरी लाइसेंस अवधि के लिए लागू होगा।

हालाँकि, चेत्तिनाद मैंगलोर कोल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड (सीएमसीटीपीएल) प्रचालन मानकों ("निष्पादन लिंकड प्रशुल्क") के साथ-साथ प्रचालन के दूसरे वर्ष से, प्रासंगिक वित्तीय के लिए इंडेक्स रेफरेंस टैरिफ के ऊपर और उसके साथ टैरिफ का प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से कम से कम 90 दिन पहले करने के लिए स्वतंत्र होगा। ऐसा निष्पादन लिंकड प्रशुल्क उस प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के लिए अनुक्रमित संदर्भ प्रशुल्क के ऊपर और ऊपर 15% से अधिक नहीं होगा (और यह प्रशुल्क कैप होगा)। निष्पादन लिंकड प्रशुल्क निम्नलिखित वित्तीय वर्ष के पहले दिन से लागू होगा और पूरे वित्तीय वर्ष के लिए लागू होगा।

- (iii) यह प्रस्ताव सीएमसीटीपीएल द्वारा टीएमपी को प्रस्तुत किया जाएगा, जो परियोजना के रियायत समझौते के तहत नियुक्त स्वतंत्र इंजीनियर से एक प्रमाण पत्र के साथ होगा, ऑपरेशन के पहले वर्ष में जो पिछले 12 महीनों में निष्पादन मानकों की उपलब्धि को दर्शाता हो जैसा कि लाइसेंस समझौते में शामिल है या संचालन के महीनों की वास्तविक संख्या के लिए जैसा भी मामला हो।

- (iv) प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद, प्राप्ति के 7 दिनों के भीतर यह प्राधिकरण 2013 के प्रशुल्क दिशानिर्देशों के पैरा 5 में उल्लिखित निष्पादन मानकों की उपलब्धि पर न्यू मैंगलोर पोर्ट ट्रस्ट के की राय मांगेगा।
- (v) लाईसेंस करार में यथा उल्लेखित निष्पादन मानक पिछले 12 माह के दौरान सीएमसीपीटीएल द्वारा प्राप्त न किए जाने पर प्राधिकरण आगामी वित्त वर्ष के लिए निष्पादन लिंकड प्रशुल्क अधिसूचित करने के प्रस्ताव पर विचार नहीं करेगा और सीएमसीटीपीएल आगामी वित्त वर्ष के लिए केवल लागू सूचकांकित संदर्भ प्रशुल्क का ही पात्र होगा।
- (vi). एनएमपीटी की राय पर विचार करने के बाद, प्राधिकरण यदि संतुष्ट है कि रियायत समझौते में शामिल निष्पादन मानक पूरे किए गए हैं तो आगामी वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से प्रभावी होने के लिए 15 मार्च तक निष्पादन से जुड़े प्रशुल्क को अधिसूचित करेगा।
- (vii) निष्पादन लिंकड प्रशुल्क के प्रस्ताव पर विचार करते समय, प्राधिकरण सीएमसीटीपीएल द्वारा निष्पादन मानकों और उसके पालन पर ध्यान देगा। प्राधिकरण सीएमसीटीपीएल द्वारा निष्पादित मानकों की उपलब्धि या अन्यथा पर आधारित निष्पादन लिंकड प्रशुल्क प्रस्ताव की स्वीकृति या अस्वीकृति पर निर्णय करेगा। अनुक्रमित संदर्भ प्रशुल्क और निष्पादन लिंकड प्रशुल्क का निर्धारण के प्रशुल्क दिशानिर्देश 2013 के परिशिष्ट में दिए गए उदाहरणों का अनुपालन करेगा।
- (viii) ऑपरेशन के तीसरे वर्ष से, सीएमसीटीपीएल निष्पादन लिंकड प्रशुल्क प्रस्ताव को स्वतंत्र इंजीनियर द्वारा प्रमाणित निष्पादित मानकों की पिछले 12 महीनों की अवधि में उपलब्धि के बारे प्राधिकरण द्वारा स्वचालित रूप से अधिसूचित किया जाएगा। सीएमसीटीपीएल तीसरे वर्ष से निष्पादन लिंकड प्रशुल्क के लिए, 1 मार्च तक स्वतंत्र इंजीनियर से उपलब्धि प्रमाण पत्र के साथ निष्पादन लिंकड प्रशुल्क प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा और प्राधिकरण 20 मार्च तक अधिसूचित करेगा, जो आगामी वित्तीय वर्ष से प्रभावी होगा।

अनुलग्नक - II

निष्पादन मानक

क. बर्थ का समग्र निष्पादन

- (i) यह पैरामीटर कोयले के लिए टर्मिनल के निष्पादन (ग्रॉस बर्थ आउटपुट) से संबंधित है। ड्राई और ब्रेक-बल्क कार्गो के मामले में, टर्मिनल (मशीनीकरण, प्रहस्तन के ढंग) और पार्सल साइज की क्षमता ग्रॉस बर्थ आउटपुट का निर्धारण करेगा। टर्मिनल बड़ी -क्षमता और बड़े पार्सल आकार से अधिक निष्पादन को बढ़ावा मिलेगा।
- (ii) बर्थ के समग्र निष्पादन की गणना एक महीने के दौरान पोत से कुल कार्गो के रूप में की जाती है, जो कि पोत के द्वारा खर्च किए गए समय से विभाजित होती है, जो टर्मिनल में पोतों के कार्यदिवसों की संख्या में व्यक्त की जाती है। पोत के घंटों से कार्य दिवसों की संख्या निर्धारित करते समय, 5 (पांच) घंटे के बर्थ अनुमत्ता को कुल घंटों से घटाया जाएगा।
- (iii) कार्गो की विभिन्न श्रेणियों के लिए संयोजी बर्थ निष्पादन के मानक निम्नलिखित हैं:

कार्गो की श्रेणी/वर्ग	मानक
तापीय कोयला	35,000 टन/दिन
अन्य कोयला	35,000 टन/दिन
अन्य कार्गो (उर्वरक, चूना पत्थर, जिप्सम, डोलोमाइट)	8,000 टन/दिन

ख. ट्रांजिट भंडारण रहने का समय :

बल्क कार्गो:

कोयले के लिए ट्रांजिट स्टोरेज डवल टाइम की गणना, बंदरगाह से एक महीने में मालवाहक के औसत निपटान द्वारा विभाजित किए गए मालवाहक जहाजों के औसत पार्सल आकार के आधे हिस्से को, प्रति दिन निम्नलिखित कार्यप्रणाली के अनुसार की जाएगी:

प्रति दिन कार्गो का औसत निपटान (क) = ओबी + प्राप्त / डिस्पैच-सीबीसंख्या। दिनों का सीबी नंबर ओबी= ओपनिंग बैलेंस, सीबी = क्लोजिंग बैलेंस।

औसत पार्सल आकार (ख = पी1 + पी2 + ... + पीएन एन (पार्सल का नहीं)।

पी1, पी2... पीएन एक महीने में प्रत्येक पोत का पार्सल आकार है।

बल्क कार्गो के लिए ट्रांजिट स्टोरेज टाइम = 0.5 (ख / क)।

ग. ट्रांजिट भंडारण रहने का समय – आयात :

कोयला (स्टेकयार्ड पर) 15दिन पोत के 15 दिन पूरे होने पर .

घ. प्राप्ति /वितरण संचालन कार्य के लिए टर्न-अराउंड समय :

रसीद / वितरण संचालन के लिए टर्न-अराउंड समय, ट्रकों / ट्रेलरों / रेक की संख्या से विभाजित कार्गो की लोडिंग / अनलोडिंग के लिए लिया गया समय का योग होगा, जैसा भी मामला हो, एक महीने में। इसके अलावा, यदि ट्रक / ट्रेलर / रेक टर्मिनल में एक ही प्रविष्टि पर लोडिंग और लोडिंग संचालन दोनों करता है, तो आवंटित समय उन ट्रकों / ट्रेलरों / रेक के लिए दोगुना हो जाएगा।

(i) (क) ट्रक (एकल ऑपरेशन) = 10 मिनट

(ख) ट्रक (डबल ऑपरेशन) = 20 मिनट

(ii) (क) रेक (एकल ऑपरेशन) = 4 घंटे

(ख) रेक (डबल ऑपरेशन) = 8 बजे

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumabi, the 9th February, 2020

F. No. TAMP/58/2019-NMPT.—In exercise of the powers conferred under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from the Chettinad Mangalore Coal Terminal Private Limited for notification of its Scale of Rates for mechanization of Berth No.16 for providing equipment for handling bulk cargo at New Mangalore Port on DBFOT basis as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS
Case No. TAMP/58/2019-NMPT

Chettinad Mangalore Coal Terminal Private Limited

...

Applicant

QUORUM:

- (i) Shri T.S. Balasubramanian, Member (Finance)
- (ii) Shri Rajat Sachar, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 20th day of February 2020)

This case relates to the proposal received from the Chettinad Mangalore Coal Terminal Private Limited (CMCTPL) for notification of its Scale of Rates (SOR) for mechanization of Berth No.16 for providing equipment for handling bulk cargo at New Mangalore Port on DBFOT basis.

2. Before bringing out the submissions made by the CMCTPL in its proposal, it is relevant here to mention that this Authority had, vide its Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015, fixed Reference Tariff based on the proposal filed by the New Mangalore Port Trust (NMPT) for mechanization of Berth No.12 for providing equipment for handling bulk cargo at NMPT through Public Private Partnership (PPP) mode which was notified in the Gazette of India Extraordinary (Part III Section 4) on 06 January 2016 vide Gazette No.08.

3. The CMCTPL vide its letter dated 15 November 2019 has requested this Authority to notify Scale of Rates for handling Bulk Cargo (Coal and other cargo) at Berth No.16 at NMPT in its name. The main submissions made by the CMCTPL are as under:

- (i) CMCTPL have entered into a Concession Agreement with New Mangalore Port Trust (NMPT) on 18 March 2016 to develop and operate the subject terminal on DBFOT basis.
- (ii) CMCTPL have completed the Project and have received the Independent Engineer Certificate and the Trade Notice dated 31 October 2019 from NMPT.
- (iii) Tariff calculation based on TAMP notification is attached.

4.1. On preliminary scrutiny of the proposal of CMCTPL, it was noticed that the proposal of CMCTPL for notification of its Scale of Rates was not accompanied with requisite information/ document viz. proposed Scale of Rates, Independent Engineer's Certificate, etc. Accordingly, the CMCTPL was requested, vide our letter dated 28 November 2019 to furnish the requisite information/ document immediately. In response, the CMCTPL vide its letter dated 5 December 2019 has furnished its reply to us with a copy endorsed to NMPT.

4.2. A summary of the information/ document sought by us and reply furnished by CMCTPL is tabulated below:

Sl. No.	Information/ document sought by us	Reply furnished by CMCTPL
(i)	(a) The CMCTPL to furnish complete proposed Scale of Rates duly indexed including conditionalities approved by the Authority vide Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015.	The complete proposed Scale of Rates along with the conditionalities governing the proposed rates as notified in reference tariff Order approved by the Authority vide Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015 is attached. (General notes in the Scale of Rates after the Schedule of Storage Charge are not included in the proposed draft SOR and Performance Standards prescribed in the said Order are not found to have been attached with the proposal. The CMCTPL has subsequently furnished the proposed draft SOR with conditionalities and Performance Standards as prescribed in the said Order.)
	(b) Simultaneously, forward the same to the NMPT to furnish its comments to TAMP.	The CMCTPL has forwarded the same to NMPT also.
(ii)	As per statute, the rates to be levied by the BOT	Though, CMCTPL have completed the project

	operator need to be notified by the Authority. The Independent Engineer has certified that the project is declared fit for commercial operation from 22.5.2019. The CMCTPL has filed proposal only on 15.11.2019. The CMCTPL to furnish reason for not filing the proposal well before the commercial operations.	during end of May 2019, due to non-availability of committed draft of 14 mtrs., CMCTPL was not able to commence its commercial operations. The NMPT carried out the dredging activity and provided the draft of 13 mtrs. in the last week of October 2019 only. Subsequently, NMPT issued the Trade Notice along with exclusivity clause of coal handling operations to CMCTPL on 31 October 2019, mentioning that the notification shall come into effect from the date of arrival of the first shipment at Berth No.16 in the month of November 2019. Copy of the relevant trade notice is furnished. Hence, CMCTPL has filed the proposal for notification of indexed Scale of Rates in its name in November 2019.
--	---	---

4.3. In the proposed Scale of Rates, the CMCTPL has requested this Authority to approve the following indexed rate by applying applicable escalation factor of Nil for the period 2016-17, 1.20% for 2017-18, Nil for 1 April 2018 to 31 July 2018, 2.07% for 1 August 2018 to 31 March 2019 and 2.56% for the period 2019-2020 on the Reference Tariff approved in the Tariff Order dated 16 November 2015:

(i) Cargo Handling Charges:

Sr. No.	Particulars	Rate in ₹ per metric tonne	
		Foreign	Coastal
(i)	Thermal Coal	301.39	301.39
(ii)	Other Coal	301.39	180.84
(iii)	Other Cargo (Fertilizer, Limestone, Gypsum, Dolomite)	76.95	46.16

(ii). Storage Charges:

Sr. No.	Particulars	Rate in ₹ per MT per Day or part thereof	
		For Coal Import	For other Cargo Import (Limestone, Gypsum, Dolomite)
(i)	Free period	25 Days	5 Days
(ii)	First five days after expiry of free period	1.13	0.83
(iii)	6 th day to 10 th day after expiry of free period	1.70	1.23
(iv)	From 11 th day onwards	2.27	1.65

5.1. With reference to the said proposal of CMCTPL, the NMPT, being the Concessionaire Port, was requested vide our letter dated 28 November 2019 and reminder dated 13 December 2019 to furnish clarification on a few points along with the requisite documents/ information immediately. The NMPT was also requested to furnish its comments on the proposed Scale of Rates to be forwarded by CMCTPL.

5.2. The NMPT has furnished its response vide its e-mail dated 24 December 2019. A summary of the information/ clarifications/ documents sought by us and reply furnished by NMPT is juxtaposed below:

Sl. No.	Information / clarifications sought by us	Reply furnished by NMPT
(i)	(a). The CMCTPL has filed the proposal for notification of SOR for Berth No.16. The reference tariff approved by the Authority for this project vide Order dated 16 November 2015 is for Berth No.12. The completion certificate issued by the	(a) Yes. While inviting EOI for the subject project, the berth was named as Berth No.12. In the Concession Agreement dated 18.03.2016, the berth is mentioned as Berth No.12.

	Independent Engineer gives reference of berth as Berth No.12. The Trade Notice dated 31 October 2019 issued by NMPT refers the berth operated by CMCTPL as Berth No.16.	Previous Berth No.12 has been renumbered as Berth No.16. Customs Notification furnished.
	(b). In this context, it is seen from the earlier e-mail dated 4 June 2019 of the NMPT, furnishing the updated status of PPP projects for upfront/ reference tariff of NMPT, that the port has mentioned " <i>Berth No.12 (New 16)</i> " against Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015. The NMPT, being the concessionaire port, to confirm whether the Berth No.12 is same as Berth No.16. That is Berth no.12 is renamed by the Port as Berth No.16.	During Notification of the Berth by the Customs Department, it was insisted that the numbering shall be in a sequential order in line with their earlier notification. Accordingly, the number was changed from Berth No.12 to Berth No.16. Copy of the Customs Notification is furnished.
(ii)	The NMPT has not furnished the Concession Agreement entered with CMCTPL on 18 March 2016. The NMPT to furnish a copy of the Concession Agreement for the said Project.	Copy of the Concession Agreement dated 18.03.2016 between NMPT and M/s.CMCTPL is furnished.
(iii)	As regards the Trade Notice No.NMPT/TM/BERTH.16/2019 dated 31 October 2019 issued by the NMPT to the trade forwarded by CMCTPL stating that CMCTPL is allowed to levy tariff as per Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015, it is relevant to state that as per statute, the rates to be levied by the BOT operator need to be notified by the Authority. The Certificate issued by the Independent Engineer certifies that the project is declared fit for commercial operation from 22 May 2019. It is, however, only now on 15 November 2019, the CMCTPL has filed the proposal for notification of indexed SOR in its name.	(a) The construction works of Berth No.16 was completed on 22.05.2019. This has been certified by the Independent Engineer vide their Completion Certificate dated 22.05.2019. (b) Even though the construction works were completed on 22.05.2019, the Concessionaire was unable to commence commercial operations for want of requisite draft and declaration by the Concessioning Authority. (c) This could be achieved only on 31.10.2019, when the Port issued Trade Notice which stated that the Concessionaire M/s.CMCTPL has been allowed to handle coal as per the Concession Agreement for an exclusivity period of five years from the date of commencement of commercial operation or till the level of handling of cargo reaches at level of 75% of the project capacity for two consecutive years. Further, M/s.CMCTPL has been allowed to charge the tariff as per the Tariff Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16.11.2015. [Concession Period is for 30 years. The above provision is an exclusivity clause.] (d) Based on the above, the date of Commercial Operation came into effect from the date of arrival of first shipment at Berth No.16 which was on 8 November 2019. (e) Accordingly, M/s.CMCTPL vide their letter No. CMCTPL/MLR/2019/0169 dated 15.11.2019 have intimated TAMP on the applicable tariff calculation with indexation along with the Independent Engineer's Certificate and the copy of Trade Notice received from NMPT.

5.3. Subsequently, the NMPT vide our letter dated 13 December 2019 was again reminded to furnish its comments on the proposal of NMPT dated 15 November 2019 as well as on complete proposed SOR directly

furnished by CMCTPL to the port. In this regard, the comments of the NMPT on the draft SOR proposed by CMCTPL are as follows:

- (i) In the draft Scale of Rates, the interest on delayed payment/ refunds specified at Clause 1.2(iii) of reference tariff has been omitted. This clause needs to be incorporated.
- (ii) TAMP may suitably modify the general notes given at Clause 4 of the draft SOR.

6.1. Clause 2.9.1 of the Tariff Guidelines of 2008 for fixation of upfront tariff stipulates that the private operator shall approach this Authority for notification of SOR containing ceiling rates applicable to his operations before commencement of commercial operations as required under Section 48 of MPT Act and as per Clause 2.9.2. of tariff guidelines of 2008, the SOR to be framed by TAMP shall be in line with the tariff caps prescribed for the port and included in the bid document subject to indexation explained in Clause 2.8. Such SOR and statement of conditions shall be notified by this Authority in the Gazette of India as required by the Major Port Trusts Act, 1963.

6.2. While clause 2.9.1 of the Upfront Tariff Guidelines of 2008 explicitly stipulates that before commencement of commercial operation, the private operator shall approach TAMP for notification of the SOR as required under Section 48 of the Major Port Trusts Act, 1963, no such an explicit provision is stipulated in the Tariff Guidelines of 2013.

6.3. As per Section 48 read with Section 42(4) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, any person authorised by the Major Port Trusts to render services can levy tariff based on the SOR notified by this Authority. That being so, the BOT operators governed under the tariff guidelines 2013 who have been authorised by Major Port Trust under Section 42(3) of the MPT Act 1963, need to get the indexed SOR notified in their name well before the commencement of operations.

6.4. As per clause 4.2 of the Reference Tariff Guidelines of 2013, the Tariff Caps are to be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2008 and 1 January of the relevant year, and the adjusted tariff will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.

6.5. As per note (i) under Schedule 4 for General Notes in the reference tariff for mechanization of Berth No.12 (new Berth No.16) for providing equipment for handling bulk cargo at NMPT through Public Private Partnership (PPP) mode approved by this Authority vide Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015, tariff caps will be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in the WPI occurring between 1 January 2015 and 1 January of the relevant year.

7. The base WPI to be considered for automatic adjustment every year is as of January 2015, and the corresponding annual escalation for the years 2016-17, 2017-18, 2018-19 and 2019-20 has been announced by this Authority and communicated to all the Major Port Trusts including NMPT and the same are given below:

Year	Annual Indexation Factor (at 60% of WPI) announced by this Authority under 2013 Guidelines
2016-17	NIL
2017-18	1.20%
01.04.18 to 31.07.18	NIL
01.08.18 to 31.03.19	2.07%
2019-2020	2.56%

Accordingly, the escalation factor to be applied in the case in reference is the escalation factor announced by this Authority for the years 2016-17 to 2019-20.

8.1. With reference to the totality of information collected during the processing of this case, the following position emerges:

- (i) This Authority has passed an Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015 disposing of the proposal filed by the New Mangalore Port Trust (NMPT) under Reference Tariff Guidelines, 2013 for mechanization of Berth No.12 for providing equipments for handling bulk

cargo at NMPT through Public Private Partnership (PPP) mode. The said Order was notified in the Gazette of India Extraordinary on 06 January 2016 vide Gazette No.08.

- (ii) The NMPT has awarded the said project on license basis to M/s.Chettinad Mangalore Coal Terminal Private Limited (CMCTPL) and NMPT has entered into a Concession Agreement with CMCTPL on 18 March 2016 for handling Coal. As per Article 2.1. of the Concession Agreement signed between CMCTPL and NMPT, the Concession period is for 30 years from the date of award of concession i.e. March 2016. The NMPT has, in the Trade notice dated 31 October 2019, intimated Trade that Port has entered into Concession Agreement with CMCTPL for handling coal with exclusivity clause for coal handling exclusively for a period of 5 years from the date of commencement of operation or till the level of handling of cargo reaches at level of 75% of the project capacity for two consecutive years.
- (iii) As per Section 48 read with Section 42(4) of the Major Port Trusts (MPT) Act, 1963, any person authorised by the MPTs to render services can levy tariff based on the Scale of Rates (SOR) notified by this Authority. That being so, the BOT operators governed under the Tariff Guidelines, 2013 who have been authorised by Major Port Trust under Section 42(3) of the MPT Act 1963, need to get the indexed SOR notified in their name well before the commencement of operations.
- (iv) Accordingly, CMCTPL has approached this Authority with a request to notify the SOR in its name vide its letter dated 15 November 2019 for mechanization of Berth No.16 for providing equipments for handling bulk cargo. The CMCTPL and the NMPT have furnished the information sought by us with reference to the proposal vide their letters dated 5 December 2019 and 24 December 2019 respectively. On receipt of the complete information, the proposal of the CMCTPL is taken up for processing.

The upfront reference tariff approved by this Authority vide Order dated 16 November 2015 is for mechanization of Berth No.12 for providing equipments for handling bulk cargo at NMPT through PPP mode. The proposal of the CMCTPL has sought notification of its Scale of Rates for mechanization of Berth No.16. In this regard, when sought clarification, the NMPT has clarified that the earlier Berth No.12 is renumbered as Berth No.16. That being so, this Authority has taken up the proposal of CMCTPL for notification of SOR in respect of Berth No.16 as proposed by CMCTPL.

- (v) It is seen from the Independent Engineer Certificate furnished by CMCTPL that the Completion Certificate issued by the Independent Engineer for the Project declares the Project fit for entry into commercial operations on 22 May 2019. The CMCTPL has, however, submitted the proposal only in November 2019.

When sought clarification for not filing the proposal before the commencement of commercial operations, the CMCTPL has clarified that due to non-availability of committed draft of 14 mts., CMCTPL was not able to commence the commercial operations from 22 May 2019. CMCTPL has further stated that NMPT carried out the dredging activity and provided draft of 13 mts. in the last week of October 2019 and has also issued Trade Notice that the CMCTPL shall commence operation from November 2019. The NMPT has also endorsed the same points as made by CMCTPL. The port has further stated that the commercial operations came into effect from the date of arrival of first shipment at Berth No.16 on 8 November 2019. Thus, in short, both CMCTPL and NMPT have clarified the position for filing the proposal in November 2019. Hence, this Authority proceeds ahead with notification of SOR in the name of CMCTPL which shall come into effect from the date of commencement of commercial operations from 08 November 2019.

- (vi) With reference to the indexation of reference tariff fixed vide Order dated 16 November 2015, it is relevant to mention that Para 12.1 of reference tariff Order passed by this Authority vide Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015 and the General Note no.(i) in the SOR approving the reference tariff, states that the tariff cap is to be indexed to inflation to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2015 and 1 January of the relevant year. The general note explicitly states the base year for WPI escalation has to be 1 January 2015.

That being so, the applicable escalation factor to arrive at indexed SOR as on 1 November 2019 is Nil for the period 2016-17, 1.20% for 2017-18, Nil for 1 April 2018 to 31 July 2018, 2.07% for 1 August 2018 to 31 March 2019 and 2.56% for the period 2019-2020 on the Reference Tariff approved vide Order dated 16 November 2015. This aggregated cumulatively to 5.939%. The CMCTPL have applied the correct escalation factor to arrive at indexed SOR to be made effective from 8 November 2019. For the subsequent years, the tariff shall be indexed automatically applying the indexation factor @ 60% of the WPI with the base year as of January 2019 to be announced by this Authority annually under the Reference Tariff Guidelines of 2013. The General note no. (i) at Schedule (4) as regards automatic escalation in the tariff prescribed in the general note approved in the Order dated 16 November 2015 is, therefore, slightly modified to that extent.

- (vii) The NMPT has already issued a Trade Notice that the CMCTPL has been allowed to charge the tariff as per Order passed by this Authority vide Order No.TAMP/60/2015-NMPT dated 16 November 2015 from the date of arrival of first shipment in the month of November 2019. Both, the NMPT and CMCTPL have confirmed that the commercial operation has commenced from 08 November 2019. Hence, the notified indexed SOR shall come into effect from the date of commencement of commercial operation in November 2019.
- (viii) Whilst the CMCTPL has retained all the definitions, general terms and conditions and notes under the schedule of cargo handling charge as prescribed in the reference tariff Order dated 16 November 2015, the CMCTPL has not included the general condition No.(iii) (a) to (d) under 1.2. relating to interest on delayed payments/ refunds. The SOR proposed by the CMCTPL also does not include the General Notes prescribed under Schedule 4 and the Performance Standards prescribed in the said Reference Tariff Order. It is relevant here to state that the Appendix 12 attached to the Concession Agreement dated 18 March 2016 entered between the CMCTPL and the NMPT includes the complete SOR and the performance standards approved by this Authority in the Order dated 16 November 2015. That being so, general condition no.(iii) (a) to (d) under 1.2. relating to interest on delayed payments/ refunds, General notes under Schedule 4 are incorporated in the SOR notified in the name of CMCTPL. Further, the Performance Standards as prescribed in the Order dated 16 November 2015 are also included as separate Annex for notification along with the indexed SOR.
- (ix) All the other conditionalities governing the application of the rates as approved in the SOR notified vide Order dated 16 November 2015 are retained subject to the following:

This Authority, has passed an Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 29 September 2015 based on the recommendations of Directorate General (DG) Shipping on the clarification sought by the VOCPT regarding levy of concessional charges for coastal cargo/ container. The provisions approved in the said Order were further amended vide Order No.TAMP/53/2015-VOCPT dated 26 November 2015. The said Order passed is for common adoption by all the Major Port Trusts. Subsequent to the said Order, the DG Shipping vide its letter no.SD9CHART(309)/2016 dated 20 May 2016 has issued further clarification on the provision approved in the 26 November 2015 Order. This Authority has, accordingly, passed a clarificatory Order slightly amending the provision prescribed in para 9A(ii) and 10(ii) of the Order dated 26 November 2015. The amended provisions approved by this Authority in the said Order which are found relevant in the case of CMCTPL as regards cargo handling charges have been updated accordingly in the SOR of CMCTPL as note no.(ii) under General terms and conditions and the proposed serial numbers at note no.(ii) to (vii) under General terms and conditions are amended as note no.(iii) to (viii) respectively.

8.2. In the result, and for the reasons given above, and based on a collective application of mind, this Authority approves notification of Scale of Rates and Performance Standards for the mechanization of Berth No.16 for providing equipments for handling bulk cargo at New Mangalore Port on DBFOT in the name of the BOT operator CMCTPL operating at NMPT attached as **Annex - I** and **II** respectively.

8.3. The Scale of Rates notified for CMCTPL will come into force from the date of commencement of commercial operations by CMCTPL at NMPT i.e. from 08 November 2019.

8.4. The CMCTPL is expected to perform at least at the performance norms brought out in the Concession Agreement.

9.1. From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the guidelines of 2013 which will be applicable for the entire concession period.

However, the CMCTPL is free to propose a tariff along with Performance Standards (the “Performance Linked Tariff”) from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

9.2. The proposal shall be submitted by CMCTPL to this Authority along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Concession Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.

9.3. On receipt of the proposal, this Authority will seek the views of the NMPT on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the Tariff Guidelines of 2013, within 7 days of receipt.

9.4. In the event of CMCTPL not achieving the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement in previous 12 months, this Authority will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the CMCTPL shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.

9.5. After considering the views of the NMPT, if this Authority is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.

9.6. While considering the proposal for Performance Linked Tariff, this Authority will look into the Performance Standards and its adherence by the Operator. This Authority will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the CMCTPL. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the Tariff Guidelines of 2013.

9.7. From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the CMCTPL shall be automatically notified by this Authority subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The CMCTPL, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the Independent Engineer by 1st March and this Authority shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

9.8. In the event any user has any grievance regarding non-achievement by the PPP operator of the Performance Standards as notified by this Authority, he may prefer a representation to this Authority which, thereafter, shall conduct an inquiry into the representation and give its finding to the NMPT. The NMPT will be bound to take necessary action on the findings as per the provisions of the respective Concession Agreement.

9.9. The CMCTPL shall furnish to this Authority, quarterly reports on cargo traffic, ship berth day output, average turnaround time of ships, average pre-berthing waiting time as well as the tariff realized at the berth. In addition, quarterly reports shall also be provided on average moves per crane hour and average dwell time for containers. The quarterly reports shall be submitted by the CMCTPL within a month following the end of each quarter. Any other information which may be required by this Authority shall also be furnished to them from time to time.

9.10. If any question arises requiring clarifications or interpretation of the Scale of Rates and the statement of conditionalities, the matter shall be referred to this Authority and its decision in this regard will be binding on the CMCTPL.

9.11. The actual performance of the CMCTPL shall be monitored by this Authority. If any complaint regarding quality of service is received, this Authority shall enquire into such allegation and forward its findings to the NMPT.

If any action is to be taken against the CMCTPL, the NMPT shall initiate appropriate action in accordance with the provisions of the relevant Concession Agreement.

10. This Authority shall publish on its website all such information received from CMCTPL. However, this Authority shall consider a request from CMCTPL about not publishing certain data/ information furnished which may be commercially sensitive. Such requests should be accompanied by detailed justification regarding the commercial sensitiveness of the data/ information in question and the likely adverse impact on their revenue/ operation upon publication. This Authority's decision in this regard would be final.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./508/19]

Annex - I

CHETTINAD MANGALORE COAL TERMINAL PVT.LTD.

SCALE OF RATES FOR HANDLING COAL AND OTHER CARGO AT BERTH NO.16 AT NEW MANGALORE PORT TRUST

CHAPTER 1 – DEFINITIONS & GENERAL TERMS & CONDITIONS

1.1 Definitions – General

In this Scale of Rates, unless context otherwise requires, the following definitions shall apply:

- (i) “**Coastal Vessel**” shall mean any vessel exclusively employed in trading between any port or place in India to any other port or place in India having a valid coastal licence issued by the Competent Authority / Director General of Shipping.
- (ii) “**Foreign - going vessel**” shall mean any vessel other than coastal vessel.
- (iii) “**Per Day**” shall mean per calendar day unless otherwise stated.

1.2 General Terms and Conditions:

- (i) The status of a vessel as borne out by its certification by the Customs or the Director General of Shipping, shall be the deciding factor for its classification as ‘coastal’ or ‘foreign-going’ for the purpose of levy of vessel related charges; and, the nature of cargo or its origin will not be of any relevance for this purpose.
- (ii) Criteria for levy of Cargo Related Charges (CRC) at Concessional Coastal rate
 - (a) Foreign going Indian vessel having General Trading License issued for ‘worldwide and coastal’ operation should be accorded applicable coastal rates with respect to Handling Charges (HC) i.e. ship to shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage in the following scenario:-
 - (i) Converted to coastal run and carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.
 - (ii) Not Converted* to coastal run but carrying coastal cargo from any Indian Port and destined for any other Indian Port.

*The Central Board of Excise & Customs - Circular No.15/2002- Cus dated 25th February 2002 allows carriage of coastal cargo from one Indian Port to another Indian Port in India, in Indian flag foreign going vessels without any Custom Conversion.
 - (b) In case of a Foreign flag vessel converted to coastal run on the basis of a License for Specified period or voyage issued by the Director General of Shipping, and a Custom Conversion Order, the coastal cargo/ container loaded from any Indian Port and destined for any other Indian Port should be levied at the rate applicable for coastal cargo/ container.
- (iii) (a) The cargo related charges for all coastal cargo other than thermal coal, POL including crude, iron ore and iron ore pellets should not exceed 60% of the normal cargo related charges.

- (b) In case of cargo related charges, the concessional rates should be levied on all the relevant handling charges for ship-shore transfer and transfer from/ to quay to/ from storage yard including wharfage.
- (c) Cargo from a foreign port, which reaches an Indian Port 'A' for subsequent transshipment to Indian Port 'B' will be, levied the concessional charges relevant for its coastal voyage. In other words, cargo from/ to Indian ports carried by vessel permitted to undertake coastal voyage will qualify for the concession.
- (iv) Interest on delayed payments/ refunds.
- (a) The user shall pay interest at the rate of 2% above the Prime Lending Rate of State Bank of India (SBI), on the delayed payments of any charge under the Scale of Rates.
- (b) Likewise, the Port Trust shall pay penal interest at the rate of 2% above the Prime Lending Rate of State Bank of India (SBI), on delayed refunds.
- (c) The delay in refunds will be counted beyond twenty days from the date of completion of services or on production of all the documents required from the User whichever is later.
- (d) Delay in payments by user will be counted only 10 days after the date of raising the bills by Terminal Operator. This provision will, however, not apply to the cases where payment is to be made before availing the services where payment of charges in advance is prescribed as a condition in the Scale of Rates.
- (v) All charges worked out shall be rounded off to the next higher rupee on the grand total of the bill.
- (vi) (a) The rates prescribed in the Scale of Rates are ceiling levels, likewise, rebates and discounts are floor levels. The operator may, if they so desire, charge lower rates and/or allow higher rebates and discounts.
- (b) The operator may also, if he so desire, rationalize the prescribed conditionalities governing the application of rates prescribed in the Scale of Rates if such rationalization gives relief to the users in the rate per unit and the unit rates prescribed in the Scale of Rates does not exceed the ceiling level.
- (c) The operator should notify the public such lower rates and/ or rationalization of the conditionalities governing the application of such rates and continue to notify the public any further charges in such lower rates and/or in the conditionalities governing the application of such rates provided the new rates fixed shall not exceed the rate notified by this Authority.
- (vii) Users will not be required to pay charges for delays beyond reasonable level attributable to the operator.
- (viii) No claim for refund shall be entertained unless the amount refundable is ₹ 100/- or more. Likewise, terminal operator shall not raise any supplementary or under charge bills, if the amount due to the operator is less than ₹ 100/-.

2. Cargo Handling Charges

Sr. No.	Particulars	Rate in ₹ per metric tonne	
		Foreign	Coastal
(i).	Thermal Coal	301.39	301.39
(ii).	Other Coal	301.39	180.84
(iii).	Other Cargo (Fertilizer, Limestone, Gypsum, Dolomite)	76.95	46.16

- (i) The handling charges for coal (thermal and other coal) prescribed above is a composite charge for unloading of the cargo from the vessel and transfer of the same up to the point of storage, storage at the stackyard upto a free period of 25 days, reclaiming from stackyard and loading onto trucks/ railway wagon, sweeping of cargo on the wharf, dust suppression services and all other miscellaneous services not specifically included in SOR.
- (ii) The handling charges for other cargo (Limestone, Gypsum, Dolomite) prescribed above is a composite charge for unloading of the cargo from the vessel and transfer of the same up to the point of storage, storage at the stackyard upto a free period of 5 days, reclaiming from stackyard and loading onto trucks,

sweeping of cargo on the wharf, dust suppression services and all other miscellaneous services not specifically included in SOR.

- (iii) The handling charges for other cargo (Fertilizer) prescribed above is a charge only for unloading of the cargo from the vessel and transfer of the same up to the Port storage sheds. The handling charges also cover other miscellaneous services not specifically included in SOR. Storage of Fertilizer is not envisaged in this project and handling charges shall not include the charges against storage.

3. Storage Charges

The storage charge for the coal and other cargo (Limestone, Gypsum, Dolomite) stored in the yard beyond a free period (25 days for coal and 5 days for other cargo) after complete discharge of vessel's cargo, shall be as below:

	Description	Rate in ₹ per MT per Day or part thereof	
		For Coal Import	For Other Cargo Import (Limestone, Gypsum, Dolomite)
(i)	Free period	25 Days	5 Days
(ii)	First five days after expiry of free period	1.13	0.83
(iii)	6th day to 10th day after expiry of free period	1.70	1.23
(iv)	From 11 th day onwards	2.27	1.65

Notes:

- (i) (a). For the purpose of calculation of free period, Customs notified holidays and Terminal's non-working days shall be excluded.
- (b). Free period shall be calculated from the day following the date of complete discharge of goods from the vessel on to the berth.
- (ii) Storage charges on cargo shall not accrue for the period when the Terminal Operator is not in a position to deliver the cargo when requested by the User due to reasons attributable to the Terminal operator.
- (iii) Storage charges shall be payable for all days including Terminal's non-working days and Customs notified holidays for stay of cargo beyond the prescribed free days.

4. GENERAL NOTES:

- (i) The tariff caps will be indexed to inflation but only to an extent of 60% of the variation in Wholesale Price Index (WPI) occurring between 1 January 2019 and 1 January of the relevant year. Such automatic adjustment of tariff caps will be made every year and the adjusted tariff caps will come into force from 1 April of the relevant year to 31 March of the following year.
- (ii) From the date of Commercial Operation (CoD) till 31st March of the same financial year, the tariff would be limited to the indexed Reference Tariff relevant to that year, which would be the ceiling. The aforesaid Reference Tariff shall be automatically revised every year based on an indexation as provided in para 2.2 of the tariff guidelines of 2013 which will be applicable for the entire licence period.

However, the Chettinad Mangalore Coal Terminal Private Limited (CMCTPL) would be free to propose a tariff along with Performance Standards (the "Performance Linked Tariff") from the second year of operation onwards, over and above the indexed Reference Tariff for the relevant financial year, at least 90 days before the 1st April of the ensuing financial year. Such Performance Linked Tariff shall not be higher than 15% over and above the indexed Reference Tariff for that relevant financial year (and this will be the Tariff Cap). The Performance Linked Tariff would come into force from the first day of the following financial year and would be applicable for the entire financial year.

- (iii) The proposal shall be submitted by CMCTPL to TAMP along with a certificate from the independent engineer appointed under the Concession Agreement of the Project indicating the achievement of Performance Standards in the previous 12 months as incorporated in the Licence Agreement or for the actual number of months of operation in the first year of operation as the case may be.

- (iv) On receipt of the proposal, TAMP will seek the views of the New Mangalore Port Trust (NMPT) on the achievement of Performance Standards as outlined in para 5 of the tariff guidelines of 2013, within 7 days of receipt.
- (v) In the event of CMCTPL not achieving the Performance Standards as incorporated in the Licence Agreement in previous 12 months, TAMP will not consider the proposal for notifying the Performance Linked Tariff for the ensuing financial year and the CMCTPL shall be entitled to only the indexed Reference Tariff applicable for the ensuing financial year.
- (vi) After considering the views of the NMPT, if TAMP is satisfied that the Performance Standards as incorporated in the Concession Agreement have been achieved, it shall notify the performance linked tariff by 15th of March to be effective from 1st of April of the ensuing financial year.
- (vii) While considering the proposal for Performance Linked Tariff, TAMP will look into the Performance Standards and its adherence by the CMCTPL. TAMP will decide on the acceptance or rejection of the Performance Linked Tariff proposal based on the achievement or otherwise of the Performance Standards by the CMCTPL. Determination of indexed Reference Tariff and Performance Linked Tariff will follow the illustration shown in the Appendix attached to the tariff guidelines of 2013.
- (viii) From the third year of operation, the Performance Linked Tariff proposal from the CMCTPL shall be automatically notified by TAMP subject to the achievement of Performance Standards in the previous 12 months period as certified by the Independent Engineer. The CMCTPL, for the Performance Linked Tariff from the third year onwards, will submit the Performance Linked Tariff proposal along with the achievement certificate from the independent engineer by 1st March and TAMP shall notify by 20th March, the Performance Linked Tariff to be effective from the ensuing financial year.

Annex - II

PERFORMANCE STANDARDS

A. Gross Berth Output:

- (i) The parameter deals with the productivity of the terminal (Gross Berth Output) for Coal. In case of dry and break-bulk cargo, the capability of the terminal (mechanization, method of handling) and parcel size will determine the Gross Berth Output. Higher terminal capability and greater parcel size will lead to high productivity.
- (ii) The Gross Berth Output shall be calculated as the total cargo handled from the ship during a month divided by the time spent by the ship at the terminal expressed in number of working days of ships in that month at that terminal. **While determining the number of working days from the ship hours, the berth allowance of 5 (five) hours shall be subtracted from the total hours.**
- (iii) The norms for Gross Berth Output for different categories of cargo are as follows:

Cargo Category	Norms
Thermal Coal	35,000 T/day
Other Coal	35,000 T/day
Other Cargo (Fertilizer, Limestone, Gypsum, Dolomite)	8,000 T/day

B. Transit Storage Dwell Time:

Bulk Cargo:

The Transit Storage Dwell Time for coal shall be calculated, as half of average parcel size of above cargo vessels in a month divided by average disposal of cargo from the port per day as per the following methodology:

Average disposal of Cargo per day (A) = $\frac{OB + Received}{Despatched - CB \text{ No. of days}}$

OB = Opening Balance, CB = Closing Balance.

Average Parcel Sizes (B) = $\frac{P1+P2+ \dots + Pn}{N}$ (no. of parcels)

P1, P2 ... Pn are parcel size of each vessel in a month.

Transit Storage Time for Bulk Cargo = $0.5(B/A)$.

C. Transit Storage Dwell Time- Import:

Coal (at stackyard) 15 days on completion of vessel.

D. Turnaround Time for receipt/ delivery operation:

The Turnaround Time for receipt/ delivery operation shall be the sum of time taken for loading/ unloading of cargo divided by the number of trucks/trailers/rakes deployed, as the case may be, in a month. Further, in case the truck/trailer/rake does both unloading and loading operations on a single entry into the terminal, the time allocated shall be doubled for those trucks/ trailers/ rakes.

- (i). (a). Truck (Single operation) = 10 min
- (b). Truck (Double operation) = 20 min
- (ii). (a). Rake (Single operation) = 4hrs
- (b). Rake (Double operation) = 8 hrs